FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम (SDO) बायतु

जगदीश कुमार बनाम सुखाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RTR नं. 226/2020 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/08/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री हरिराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/09/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
29/09/20	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 10/11/20 को पेश हो। [initials]	
10/11/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या - 1 से 18 व 20 से 30 पर नोटिस तामिल शुदा व विप्रार्थी संख्या-19 पर नोटिस पर [illegible] गया जिसे [illegible] गया। श्रीमान [illegible] दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/12/20 को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:49 IST
Reason: SelfAttested

22/12/20 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 19/01/21 का पेश हों ।

19/01/21 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनाक 26/04/21 को पेश हो।

26/04/21 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनाक 06/07/21 को पेश हो।

06/07/21 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनाक 15/09/2021 को पेश हों।

15/09/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा विपार्थी संख्या-19 के कायम मुकाम व संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लेने हेतु पेश किया गया। विपार्थी संख्या-19 के कायम मुकाम व संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। शेष विपार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील द्वारा विपार्थी संख्या-19/1 व 19/2 के [illegible] मय राजीनामा खर्चा पेश किया गया जो [illegible] होकर पत्रावली दिनांक 14/10/2[illegible] को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:49 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/10/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थी संख्या-19/1 व 19/2 की डिलेवरी रसीदें पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 10/11/2021 को पेश हो।	
10/11/2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत सिंगोडिया में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी के वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा-सेढ आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मांढे व कोड आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है खेत के सेढो को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइश करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइश आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइश आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइश आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी [illegible] खेतों की पक्की पैमाइश [illegible] शुल्क जमा करावे। [illegible] पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली [illegible] होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1322 दिनांकः– 22/11/2021

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. जगदीश कुमार पुत्र निम्बाराम वगैरा 4
जाति जाट, निवासी जान्दुओं की ढाणी
पटवार मण्डल बायतु पनजी
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. खूमाराम पुत्र तेजाराम वगैरा 30
जाति जाट, नि. जान्दुओं की ढाणी
पटवार मण्डल बायतु पनजी
तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 226 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – लीलाला, पटवार मण्डल – बायतु पनजी, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 447 / 257, 448 / 235 रकबा क्रमशः 3.3169, 1.5047 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1323 – 1327 दिनांकः– 22/11/2021

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1 तहसीलदार बायतु
2 पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3 प्रार्थी श्री जगदीश कुमार पुत्र निम्बाराम वगैरा 4
4 विप्रार्थी श्री खूमाराम पुत्र तेजाराम वगैरा 30
5 पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु